भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *100
दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा

***100. श्रीमती सुमलता अम्बरीश:**
श्री डी.के. सुरेश:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चिकित्सा उपकरण उद्योग के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश में चिकित्सा उपकरण उद्योग के विकास के लिए विभिन्न राज्यों में संभावित केन्द्रों की पहचान की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"चिकित्सा उपकरण उद्योग का संवर्धन" के संबंध में श्रीमती सुमलता अम्बरीश और श्री डी.के. सुरेश द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 08.12.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 100 (20वां स्थान) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2020 में देश में चिकित्सा उपकरण उद्योग के बाजार आकार का अनुमान 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसमें तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद चौथा सबसे बड़ा एशियाई चिकित्सा उपकरण बाजार है और दुनिया के शीर्ष 20 वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजारों में से है।

(ख): भारत सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं। चिकित्सा उपकरण उद्योगों को समर्थन देने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. 3,420 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2027-28 तक के कार्यकाल के साथ चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण (पीएलआई एमडी) के संवर्धन के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। चयनित कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन भारत में विनिर्मित और योजना के लक्षित खंडों के तहत कवर किए गए चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री पर 5% की दर से पांच साल की अवधि के लिए दिया जाना है। इस योजना के तहत 26 प्रतिभागियों को मंजूरी दी गई है और 39 उत्पादों का विनिर्माण शुरू हो गया है।
ii. औषध के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना 15,000 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2028-29 तक की अवधि के साथ शुरू की गई है। इस योजना में इन-विट्रो डायग्नोस्टिक (आईवीडी) डिवाइस शामिल है। इस योजना के तहत कुल 55 प्रतिभागियों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 5 प्रतिभागियों को इन-विट्रो डायग्नोस्टिक (आईवीडी) उपकरणों के लिए चुना गया था।
iii. 400 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक के कार्यकाल के साथ चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन योजना में आगामी चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझा बुनियादी सुविधाओं के विनिर्माण के लिए चार चयनित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों को प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए अंतिम अनुमोदन

दिया गया है। सभी राज्यों को प्रत्येक को 30 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।

iv. विभाग ने दिनांक 26.04.2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति (एनएमडी), 2023 को भी अधिसूचित किया है। नीति में देश की उभरती स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा करने के लिए रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के साथ त्वरित विकास पथ पर भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

v. 5 वर्षों की अवधि अर्थात वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 के लिए 5000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विनिर्दिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में फार्मा मेडटेक क्षेत्र (पीआरआईपी) में अनुसंधान और नवाचार के संवर्धन के लिए योजना दिनांक 17.08.2023 को अधिसूचित की गई थी। इस योजना के तहत, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर), अहमदाबाद में चिकित्सा उपकरणों में विशेषज्ञता के साथ एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ): सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट के माध्यम से किए गए अध्ययन के अनुसार, देश में 21 चिकित्सा उपकरण (एमडी) क्लस्टर हैं। साझा सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण समूहों (एएमडी-सीएफ) को सहायता योजना साझा बुनियादी सुविधाओं अर्थात चिकित्सा उपकरणों की परीक्षण प्रयोगशालाओं, ई-अपशिष्ट उपचार सुविधा, लॉजिस्टिक केंद्रों आदि को विकसित करने के लिए चिकित्सा उपकरण समूहों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह योजना चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाओं की स्थापना या सुदृढ़ीकरण में रुचि रखने वाले राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय सरकार या निजी संस्थानों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना का वित्तीय परिव्यय 300 करोड़ रुपये है और इस योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक है।

****